

मुकदमों का विवरण

एसएमटी। दरियाव कंवर और ओ. आर. एस. बनाम

मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. (दीवानी अपील सं.5416 2012 का)

23 अगस्त, 2023

[हिमा कोहली और राजेश बिंदल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:वाहन चलाते समय चालक की तबीयत बिगड़ गई, उसने अपना वाहन खड़ा किया और उसकी मौत हो गई।क्या इस तरह की अप्रिय दुर्घटना को उचित रूप से एक दुर्घटना के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो रोजगार की प्रकृति के कारण हो सकता है।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, **1923**-अपीलकर्ताओं-दावेदारों ने **1923** के अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करते हुए आयुक्त के समक्ष आवेदन किया-'**3,26,140**' का मुआवजा दिया गया-हालांकि, उच्च न्यायालय का विचार था कि मृत्यु और मृतक द्वारा किए जा रहे काम के बीच कोई संबंध नहीं है-उच्च न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को अस्थिर माना-
अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने अपील की:

आयोजित किया गया:मृतक ट्रक पर चालक के रूप में कार्यरत था, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के स्वामित्व में था-वही पूरी तरह से बीमित था-रिकॉर्ड पर उपलब्ध पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, **1923** के अधिनियम के तहत देय किसी भी मुआवजे के लिए दो कर्मचारियों को कवर करने के लिए एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था-दिल्ली से बड़ौदा तक वाहन चलाते समय, मृतक का स्वास्थ्य बिगड़ गया-उसने अपना वाहन खड़ा किया और उसकी मृत्यु हो गई-आयुक्त द्वारा पारित आदेश में यह देखा गया कि, नियोक्ता ने स्वीकार किया कि मृतक एक चालक के रूप में कार्यरत था और वह ड्यूटी पर था-रिकॉर्ड पर इन तथ्यों के साथ, आयुक्त ने आवेदन स्वीकार कर लिया और मुआवजे का मूल्यांकन '**3,26,140**-परम पाल सिंह के मामले में, इस न्यायालय ने उनके आश्रितों के नेतृत्व में अपील को स्वीकार कर लिया।

587

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वाहन चलाते हुए, यह मानने का हर कारण है कि लंबे समय तक गाड़ी चलाना एक भौतिक योगदान कारक था, यदि एकमात्र कारण नहीं है जिसने कम उम्र में उनकी अप्रत्याशित मृत्यु को तेज किया-ऐसी अप्रिय दुर्घटना को यथोचित रूप से एक दुर्घटना के रूप में वर्णित किया जा

सकता है, जो केवल रोजगार की प्रकृति के कारण हो सकती है-यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के मामले को शामिल करता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया और आयुक्त के आदेश को बहाल कर दिया गया।[पैरा 7,8,9 और 10]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

परम पाल सिंह पिता बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी और अन्य के माध्यम से,

(2013) 3 एससीसी 409:[2012] 13 एस. सी. आर. 1232; पूर्वोत्तर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम।बनाम सुजाता (2019) 11 एस. सी. सी. 514:[2018] 13 एससीआर 1043-पर भरोसा किया गया।

वेद प्रकाश गर्ग बनाम प्रेमी देवी और अन्य (1997) 8 एससीसी 1:[1997] 4 पूरक।एस. सी. आर. 250; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम.प्रेमबाई पटेल और अन्य,

(2005) 6 एससीसी 172:[2005] 3 एस. सी. आर. 655-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2012 की सिविल अपील सं. 5416।2007 के एफ. ए. ओ. सं. 346 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

आर. के. नैन, सुश्री प्रतिमा एन. लाकड़ा, दक्ष नैन, चंदन प्रजापति, सुश्री शालू, जिनेंद्र जैन, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

वी. एस. चोपड़ा, सुश्री मंजीत चावला, यशवर्धन एस. सोम, श्रीमती उषा पंत कुकरेती, श्रीमती पी. शांति, वरिंदर कुमार शर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एसएमटी। दरियाव कंवर और ओ. आर. एस. बनाममैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

589

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश राजेश बिंदल, जे।

1. प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील 2 में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। अपीलार्थी वे दावेदार हैं जिन्होंने 1923 4 अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करते हुए आयुक्त 3 के समक्ष आवेदन का नेतृत्व किया। आयुक्त के समक्ष अपीलार्थियों के नेतृत्व में आवेदन को उनके द्वारा दिनांक 22.03.2007 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। वसूली की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ '3,26,140-(तीन लाख छत्तीस हजार एक सौ चालीस रुपये) का मुआवजा डब्ल्यू. ई. एफ. 15.09.2003 प्रदान किया गया था।

2. सुमेर सिंह (मृतक), जिनके कानूनी प्रतिनिधि इस न्यायालय के समक्ष हैं, प्रत्यर्थी संख्या के साथ एक चालक के रूप में कार्यरत थे। 2 5 नं. वाले ट्रक चलाने के लिए। डीएल-1 जी-बी-3976। मृतक को प्रत्यर्थी नं. 1 के व्यापार और व्यवसाय के संबंध में उपरोक्त ट्रक चलाने का कर्तव्य सौंपा गया था। 2 दिल्ली से बड़ौदा (गुजरात) तक। 15.09.2003 पर, लगभग 12:30 सुबह उदयपुर (राजस्थान) के गोवर्धन विलास से गुजरते समय उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उसने अपना वाहन खड़ा किया और मर गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत पाया गया। उनका पोस्टमॉर्टम किया गया। यह कहा गया था कि मृत्यु के समय उनकी आयु 41 वर्ष थी।

3. क्षतिपूर्ति देने वाले आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बीमा कंपनी 6 द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। विवादित आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के नेतृत्व में अपील को स्वीकार कर लिया और आयुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष भी यही आपत्ति है।

1 दिल्ली उच्च न्यायालय

2 2007 का एफ. ए. ओ. सं. 346 दिनांक 16.09.2009 3 कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त

4 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जिसे पहले श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के रूप में जाना जाता था

5 वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2 वाहन के मालिक कुलदिप भाटिया हैं। 6 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

590

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

4. अपीलार्थियों विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतक सुमेर सिंह, जो एक वाणिज्यिक वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत था, को दिल्ली से बड़ौदा (गुजरात) के लिए ट्रक चलाने का काम सौंपा गया था। जब वह ड्यूटी पर थे, यह घटना 15.09.2003 पर हुई थी। मौत मानसिक तनाव और लंबे समय तक गाड़ी चलाने से उत्पन्न तनाव के कारण हुई। आयुक्त ने दावे को सही ही स्वीकार किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को पलट

दिया था। उन्होंने आगे कहा कि ट्रक के मालिक ने बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी खरीदी थी जिसमें 1923 के अधिनियम के तहत देय मुआवजे के कवरेज के लिए दो कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था। यह नीति 30.06.2003 से 29.06.2004 तक प्रभावी थी।

5. रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विसरा और रक्त के नमूने के कुछ हिस्सों के परीक्षण के परिणामस्वरूप धातु के जहर, एथिल और मिथाइल अल्कोहल, साइनाइड, एल्कलॉइड, बार्बिट्यूरेट्स, ट्रैक्विलाइजर और कीटनाशकों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए। इसलिए इसे आत्महत्या या शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

परम पाल सिंह के माध्यम से पिता बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी और ए. एन. आर., (2013) 3 एस. सी. सी. 409 और पूर्वोत्तर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम सुजाता, (2019) 11 एस. सी. सी. 514, प्रस्तुत तर्क है -

कि मृतक के आश्रित मुआवजे प्राप्त करने के हकदार हैं। 6. दूसरी ओर, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह विवाद में नहीं है कि मृतक अपनी मृत्यु के समय वाहन नहीं चला रहा था। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, उनकी मृत्यु सीधे किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी। यह घटना नौकरी के दौरान हुई होगी, लेकिन यह नौकरी से उत्पन्न नहीं हो रही है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता है कि मृतक को तनाव और ट्रक चलाने के तनाव के कारण दिल का दौरा पड़ा था। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संदर्भ में वाहन के मालिक द्वारा खरीदी गई पॉलिसी थी। इसलिए, उस अधिनियम के तहत दावा किया जाना चाहिए था। हालाँकि, इसका लाभ नहीं उठाया गया, क्योंकि मृत्यु मोटर दुर्घटना का परिणाम नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। याचिका खारिज किए जाने के योग्य है। रिलायंस को एल. डी. द्वारा रखा गया था।

वेद प्रकाश गर्ग बनाम प्रेमी देवी और अन्य पर परामर्श (1997) 8 591

एसएमटी। दरियाव कंवर और ओ. आर. एस. बनाम मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. और ए. एन. आर. [राजेश बिंदल, जे.] 592

एस. सी. सी. 1; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमबाई पटेल और अन्य, (2005) 6 एससीसी 172।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। अभिलेखों से स्पष्ट तथ्य यह है कि मृतक सुमेर सिंह ट्रक नं. वाले वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत था। डीएल-1 जी-बी-3976, जिसका स्वामित्व प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास था। इसका पूरी तरह से बीमा किया गया था। बीमा पॉलिसी 30.06.2003 से 29.06.2004 तक प्रभावी थी। अभिलेख पर उपलब्ध नीति की शर्तों के अनुसार, 1923 के अधिनियम के तहत देय किसी भी

मुआवजे के लिए दो कर्मचारियों को कवर करने के लिए एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था। दिल्ली से बड़ौदा के लिए वाहन चलाते समय मृतक की तबीयत लगभग 12 बजे 15.09.2003 पर बिगड़ गई:30 सुबह उदयपुर (राजस्थान) के गोवर्धन विलास में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। विसरा और रक्त के नमूनों के कुछ हिस्सों की रासायनिक जांच में, धातु के जहर, एथिल और मिथाइल अल्कोहल, साइनाइड, एल्कलॉइड, बार्बिट्यूरेट्स, ट्रैक्विलाइजर और कीटनाशक नहीं पाए गए। यह रिपोर्ट इस बात से इंकार करती है कि मौत जहरीली सामग्री या शराब के सेवन के कारण हुई थी। एफ. आई. आर. सं. 18/2003 दिनांकित 15.09.2003 भी दर्ज की गई थी। आयुक्त के समक्ष अपीलार्थियों के नेतृत्व में दायर आवेदन में यह अनुरोध किया गया था कि मृतक को भत्ते के रूप में प्रति दिन 3,091/- (तीन हजार इकानवे रुपये) और 50/- (पचास रुपये) का मासिक वेतन मिल रहा था। अपीलार्थियों मृतक पर उसकी विधवा और बच्चों के रूप में निर्भर थे। 8. आयुक्त ने अपीलार्थियों के नेतृत्व में आवेदन को स्वीकार कर लिया। आयुक्त द्वारा पारित आदेश में यह देखा गया कि नियोक्ता ने स्वीकार किया कि मृतक एक चालक के रूप में कार्यरत था और वह 15.09.2003 पर दिल्ली से बड़ौदा के लिए ड्यूटी पर था। उसे दिए जाने वाले वेतन को भी स्वीकार कर लिया गया। अभिलेख पर इन तथ्यों के साथ, आयुक्त ने आवेदन स्वीकार कर लिया और मुआवजे का आकलन '3,26,140- (तीन लाख छत्तीस हजार एक सौ चालीस रुपये) पर किया। आयुक्त के उपरोक्त आदेश के खिलाफ, बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चले कि सुमेर सिंह की मृत्यु नौकरी के दौरान तनाव और तनाव के कारण हुई थी। यदि मृतक कर्मचारी पहले से ही किसी मौजूदा बीमारी से पीड़ित था और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसे नौकरी के दौरान मृत्यु का मामला नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि कोई नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

मृत्यु और मृतक द्वारा किए जा रहे कार्य के बीच संबंध। इसलिए, आयुक्त का आदेश अस्थिर पाया गया। 9. परम पाल सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर अपीलार्थियों के वकील ने भरोसा किया था, उनके बचाव में आता है। उस मामले में मृतक एक ट्रक चालक था। ड्यूटी पर रहते हुए, उन्होंने अचानक दम तोड़ दिया और अपनी गाड़ी सड़क के किनारे होटल में खड़ी कर दी। वाहन खड़ा करने के बाद वह बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए मृतक के आश्रितों द्वारा एक आवेदन का नेतृत्व किया गया था। आयुक्त ने दावे को स्वीकार कर लिया जबकि आयुक्त द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय ने अपास्त करना दिया। आश्रितों ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील का नेतृत्व किया। उपरोक्त निर्णय में यह देखा गया है कि 1923 के अधिनियम के तहत देय मुआवजे के कवरेज के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

10. इस न्यायालय ने मृतक के आश्रितों के नेतृत्व में दायर अपील को स्वीकार कर लिया और पाया कि भले ही मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, लेकिन चालक लगातार वाहन चला रहा था, यह मानने का हर कारण है कि लंबे समय तक गाड़ी चलाना एक भौतिक योगदान कारक था, यदि एकमात्र कारण नहीं था जिसने कम उम्र में उसकी अप्रत्याशित मृत्यु को तेज किया। इस तरह की अप्रिय दुर्घटना को यथोचित रूप से एक दुर्घटना के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो केवल रोजगार की प्रकृति के कारण हो सकता है। उपरोक्त निर्णय में कर्मचारी की आयु 45 वर्ष थी। यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के मामले को शामिल करता है। निर्णय के प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“29. उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम वैध रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मृतक की मृत्यु का ट्रक चालक के रूप में उसकी नौकरी से कारण संबंध था। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि एक 45 वर्षीय चालक की अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है, दिल्ली से झारखंड के पास निमियाघाट नामक एक दूर की जगह पर वाहन चलाते समय दिल का दौरा पड़ने से हो सकती है, जो दिल्ली से लगभग 1152 किमी दूर है, इस तरह की लंबी दूरी की ड्राइविंग के कारण निश्चित रूप से गंभीर तनाव और तनाव से गुजरना पड़ता। मृतक एक पेशेवर भारी वाहन चालक होने के नाते जब वह अपने नियमित व्यवसाय के रूप में ड्राइविंग का काम करता है तो यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि भारी वाहन का ऐसा निरंतर संचालन, पूरी तरह से अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों और सहनशक्ति पर निर्भर होने के कारण, यह मानने का हर कारण था कि ड्राइविंग का व्यवसाय एक सामग्री 593 था।

एसएमटी। दरियाव कंवर और ओ. आर. एस. बनाम मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [राजेश बिंदल, जे।]

योगदान कारक यदि एकमात्र कारण नहीं है जिसने उनकी अप्रत्याशित मृत्यु को तेज किया, जिसे सभी निष्पक्षता में उनके जीवनकाल में एक अप्रिय दुर्घटना माना जाना चाहिए। इसलिए इस तरह की "अप्रिय दुर्घटना" को यथोचित रूप से एक "दुर्घटना" के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से अपने नियोक्ता के साथ किए गए रोजगार की प्रकृति के कारण हुआ है जो ऐसे नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के दौरान था।

30. ऐसी परिस्थितियों में, हम इस बात से आश्चस्त हैं कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त का यह निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु दूसरे प्रत्यर्थी के साथ उसके रोजगार के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना में हुई थी, पूरी तरह से उचित था और इसके विपरीत निष्कर्ष उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा इस अपील में आक्षेपित आदेश में पहुँचा गया था, अपास्त करना किए जाने योग्य है।”

(जोर दिया गया) 11। पूर्वोत्तर कर्नाटक में भी इस न्यायालय ने इसी तरह का विचार व्यक्त किया था।

सड़क परिवहन निगम का मामला।(ऊपर)।

12. प्रत्यर्थियों के वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हम उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार कर सकते हैं।हमारे विचार में, उनके द्वारा दिए गए निर्णय उनके मामले का समर्थन नहीं करते हैं।

13. वेद प्रकाश गर्ग के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा

यह था कि क्या बीमा कंपनी बीमित नियोक्ता के खिलाफ जुर्माना और ब्याज लगाने वाले आयुक्त के फैसले को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है।यह हाथ में लिए गए मामले में विचाराधीन मुद्दा नहीं है।इस मुद्दे के तहत

प्रेमबाई पटेल और ओआरएस के मामले (ऊपर) में भी विचार अलग था क्योंकि

इस न्यायालय से इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या बीमा कंपनी दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या इसका दायित्व 1923 के अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा तक सीमित है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में दावेदारों को 1923 के अधिनियम के तहत मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा दिया गया है और बीमा पॉलिसी में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

14. ऊपर बताए गए कारणों से, हम वर्तमान अपील के योग्य हैं।एक ही स्टैंड की अनुमति है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।आयुक्त के आदेश को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के बहाल किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान